सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 311 राँची, शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

22 मार्च, 2018

विषय: **झारखण्ड राज्य में रेलवे की नयी नीति के अनुसार नये रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकार एवं रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के बीच Joint Venture स्थापित किये जाने के लिए Joint Venture Agreement (JVA) की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

संख्या- 299/2015/260-- रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राज्य में नये रेलवे परियोजना के निर्माण एवं रेल लाईन के विस्तार हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच Joint Venture Company (JVC) स्थापित करने की नीति बनाई गई है ।

2. कार्यपालक निदेशक (कार्य), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-2016/W-I/Genl/SPV/Jharkhand दिनांक 2 सितम्बर, 2016 द्वारा रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच हुए हस्ताक्षरित Joint Venture Agreement का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है जिसके तर्ज पर झारखण्ड

सरकार द्वारा Joint Venture Agreement किया गया है । झारखण्ड सरकार एवं रेल मंत्रालय, भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित Joint Venture Agreement में निम्न शर्त्तो का उल्लेख हैं -

(क) JVC रेल मंत्रालय तथा झारखण्ड सरकार के साथ होगा जिसमें Equity Share का प्रतिशत, रेल मंत्रालय का 49% एवं झारखण्ड सरकार का 51% होगा -

Name of the Shareholder	**No. of Equity Shares of Face Value Rs. 10/- each**	**Subscription Amount (in Rs.)**	**Post Subscription paid up equity capital (in Rs.)**	**Post Subscription Shareholding (in Rs.)**
MOR	4,90,00,000	49,00,00,000	49,00,00,000	49%
GOJ & its agencies	5,10,00,000	51,00,00,000	51,00,00,000	51%

(ख) JVC का Authorised Share Capital 100.00 करोड़ का होगा जिसमें Initial Paid-up Capital 51.00 करोड़ का होगा । उपर वर्णित Equity Share के अनुसार Share किया जायेगा ।

(ग) JVC द्वारा संभावित रेल परियोजनओं का विकास, धन की व्यवस्था एवं कार्यान्वयन के साथ-साथ Survey, DPR इत्यादि का भी कार्य किया जाएगा ।

(घ) JVC का Corporate मुख्यालय राज्य की राजधानी राँची में होगी ।

(ड.) JVC के किर्यान्वयन एवं प्रबंधन हेतु एक Board स्थापित किया जाएगा, जिसमें अधिकत्म 12 Board of Director होंगे । उक्त स्थापित बोर्ड में निम्न सदस्य होंगे -

(i) 1 (एक) अध्यक्ष

(ii) 1 (एक) प्रबंधक निदेशक, जिसका चयन रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के समिति द्वारा किया जाएगा अथवा दोनों के आपसी सहमति से किया जाएगा ।

(iii) 2 (दो) निदेशक (पूर्णकालिक), रेल मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा एक-एक पूर्णकालिक निदेशक का नियुक्ति किया जाएगा ।

(iv) 6 (छः) निदेशक (अपूर्णकालिक), दो-दो निदेशक को रेल मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा तथा दो स्वतंत्र निदेशक का चयन गैर सरकारी, सरकारी क्षेत्र या शिक्षण संस्थानों से किया जाएगा जो अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो ।

(च.) परियोजनाओं के कार्यान्वयन (संचालन और रखरखाव सहित) संबंधित Zonal Railways या Project SPV द्वारा रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके चयनित किसी अन्य एजेंसी के द्वारा किया जाएगा ।

(छ) JVC द्वारा आपसी सहमति से संसाधनों की सीमित उपलब्धता (निधि सहित) को देखते हुए, कम्पनी द्वारा केवल उस तरह के रेलवे परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा जो आर्थिक रूप से Viable हो । परियोजना की स्वीकृति के पश्चात रेल मंत्रालय एवं Project SPV के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे जो एकरारनामा हस्ताक्षरित की तिथि से 30 (तीस) वर्षो के लिए वैध होगा ।

(ज) झारखण्ड सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य निश्चित समय सीमा के अन्दर किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के कार्यान्वयन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े ।

(झ) Project SPV में राज्य सरकार तथा रेल मंत्रालय के बीच गठित JVC का Equity कम से कम 26% रहेगा ।

(ट) परियोजना का Operation एवं Maintenance रेलवे द्वारा किया जायेगा तथा इसके लिए लगने वाले Cost का Charge Project SPV पर किया जायेगा । रेल मंत्रालय Last Mile Connectivity देगा ।

(ठ) अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व Project SPV के पास रहेगा जो उसके मूल्य का भुगतान करेगा । Non-viable Projects के मामले में राज्य सरकार अपनी Equity के अतिरिक्त भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में विचार करेगी ताकि परियोजना का कार्यान्वयन हो सके ।

(ड) झारखण्ड सरकार द्वारा Joint Venture Company स्थापित किया जायेगा जिसका मुख्यालय राँची होगा एवं उक्त Company का नाम JHARKHAND RAIL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION (JRIDC) अथवा अन्य कोई अनुमोदित नाम होगा ।

5. झारखण्ड राज्य में रेलवे की नयी नीति के अनुसार नये रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकार एवं रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के बीच Joint Venture Company स्थापित किये जाने के लिए Joint Venture Agreement (JVA) प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को मद संख्या-21 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

भूषण पासवान
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 311 -- 50